राजस्थान विश्वविद्यालय
University of Rajasthan

क्रमांकः एफ–9 / सा.प्र. / 2021 / 145–239 दिनांकः–15.01.2021

1. समस्त विभागाध्यक्ष / ईकाई प्रभारी, शैक्षणिक विभाग, रा.वि.वि.,जयपुर ।
2. समस्त प्राचार्य, संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय ,जयपुर ।
3. समस्त निदेशक, पी.जी. स्कूल्स / केन्द्र / केन्द्रीय पुस्तकालय / पोद्दार प्रबन्ध संस्थान, रा.वि.वि.,जयपुर।
4. मुख्य आवासाधिकारी , छात्र / छात्रा / समस्त आवासाधिकारी, रा.वि.वि.,जयपुर ।
5. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण , राजस्थान विश्वविद्यालय ,जयपुर।
6. मुख्य कुलानुशासक, राजस्थान विश्वविद्यालय ,जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी , उद्यान एवं नर्सरी , राजस्थान विश्वविद्यालय ,जयपुर।
8. समस्त चिकित्साधिकारी (एलोपैथिक,होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक), विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय ,जयपुर।
9. विश्वविद्यालय अभियंता, राजस्थान विश्वविद्यालय ,जयपुर।
10. समस्त उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव, रा.वि.वि.,जयपुर ।

महोदय / महोदया,

गृह (ग्रुप–9) विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश कमांक पी.33(2) गृह–9 / 2019,दिनांक 06.01.2021 की अनुपालना में सूचित किया जाता है कि कोविड–19 के प्रकरणों में कोरोना संकमण के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए राज्य सरकार के उच्च शिक्षण संस्थानों के संबंध में लिये गये निर्णय की प्रतिलिपि आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है । साथ ही यह भी निवेदन है कि विश्वविद्यालय द्वारा कोविड–19 के सन्दर्भ में पूर्व में भेजे गये पत्र व अन्य दिशा–निर्देश की पालना सुनिश्चित की जावें।

संलग्न :– प्रतिलिपि

15/01/2021

(कजोड मल दूड़िया)
कुलसचिव

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.33 (2)गृह-9/2019

जयपुर दिनांकः 6/1/2021

आदेश

राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.09.2020 में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ ही निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों व मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल कॉलेज को खोलने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः-

1. दिनांक 11.01.2021 से मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज तथा पैरामेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति होगी।
2. राज्य के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों के 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाओं के लिये विद्यालय दिनांक 18.01.2021 से खोले जायेंगे। सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों द्वारा नियमित कक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनिवार्यतः पालना सुनिश्चित की जायेगी।

   नियमित कक्षाओं में अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी की प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी।
3. राज्य के सभी विश्व विद्यालयों/महाविद्यालयों के अन्तिम वर्ष की कक्षाओं को दिनांक 18.01.2021 से प्रारम्भ करने की अनुमति होगी।
4. कक्षा 1 से 8वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।
5. कोचिंग संस्थानों को दिनांक 18.01.2021 से खोलने की अनुमति होगी। इस सम्बन्ध में अलग से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जायेगी, जिसकी सभी कोचिंग संस्थानों को सख्ती से पालना करना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त सरकारी/निजी विद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान व कोचिंग संस्थान कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित किये गये प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना करते हुए शिक्षण गतिविधियों को प्रारम्भ करेंगे।

सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों व कोचिंग संस्थानों द्वारा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) व राज्य सरकार के गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय
5. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान्।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड
9. सभी विभागाध्यक्ष
10. समस्त संभागीय आयुक्त।
11. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जिला स्तरीय, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, गृह